THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (c) The level of market borrowings by the State during 1998-99 is yet to be decided.

क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकों की समीक्षा

3738. श्री मनोहर कान्त ध्यानीः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा की है,

(ख) क्या यह सच है कि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात 85:15 है,

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है, और

(घ) ऋण का अनुपात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, अगर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क) सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्रियाकलापों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनके परिचालनों की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचनानुसार, दिनांक 31-3-97 की स्थिति के अनुसार, पिछड़े एवं पर्वतीय जिलों में परिचालन कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात 48 प्रतिशत है। जबकि देश के पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में परिचालन कर रहे कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित ऋण जमा अनुपात के कम होने की जानकारी दी गई है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि उनका ऋण जमा अनुपात 85:15 है। यह जिक्र किया जा सकता है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात लगभग 45 प्रतिशत है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने के कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वयं सक्षमता (स्टैंड एलोन) के आधार पर उनके तुलन पत्रों में सुस्पष्टता लेकर उन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, व्यापक पुनर्गठन हेतु वर्ष 1994-98 के दौरान 151 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लिया गया था। मार्च 1998 तक सरकार द्वारा कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 151 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 774 करोड़ रुपए (लगभग) की ईक्विटी सहायता प्रदान की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए चालू वर्ष के दौरान 265 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(घ) कई पहलू हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण जमा अनुपात को निर्धारित करते हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक की जमाराशि का स्तर तथा और जमाराशि जुटाने की संभावना, क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता, जिले में औद्योगिक क्रियाकलापों और ऋण संवितरण बढ़ाने की संभावना, ऋण वसूली की दर और निधियों के पुनर्निवेश की मात्रा शामिल है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में कम ऋण जमा अनुपातके कारणों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि में ऋण जमा अनुपात समितियों की नियुक्ति भी की है। इन समितियों ने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं और उचित उपचारी उपायों के लिए सम्बन्धित राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों में उस पर विचार-विमर्श किया गया है। क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों के ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि ये संस्थाएं सतत् रुप से अर्थक्षम हों। चुने हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुवर्पूजीकरण सहायता प्रदान करने के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए बैंक विशेष विकास कार्य योजनाएं (डीएपी) तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त, अय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों को वर्ष 1995-96 से लागू किया गया है और प्रावधान करने सम्बन्धी मानजण्डों को 1996-97 से लागू किया गया है। शाखा नेटवर्क के युक्तियुक्तकरण के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधन में प्रायोजक बैंको की भूमिका को भी बढ़ाया गया है। आशा की जाती है कि इन कदमों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनेंगे और विकेन्द्रित ग्रामीण बैंकिंग के प्रभावी तंत्र के रूप में उभरेंगे।

Provisions of Section 80-IA of Income-Tax Act. 1961

3739. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of the provisions of Section 80-IA of the Income Tax Act, 1961;

(b) whether Government have received any proposal from any State Government for exemption from payment of IT for investment towards setting up infrastructure facilities for private ITIs; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) Deduction u/s 80-IA is admissible if an undertaking begins manufacture/production, or a hotel starts functioning on or after 1.4.91. From assessmient year 1993-94, the benefits cover industrial undertakings which are regarded as small scale undertakings. Industrial undertakings located in industrially backward States specified in the Eighth Schedule of the LT. Act; and industrial undertakings, set-up in notified backward districts after, 1st October, 1994 are now entitled to the benefits of the provisions. Industrial undertakings set up, anywhere in India, for generation or generation and distribution of power are also entitled to benefits.

The benefit of the provisions has also been extended to any enterprise carrying on the business of developing, maintain-ing and operating any infrastructure facility, which includes a road, highway, bridge, airport, port or rail system, irrigation, water-supply, sewerage and sanitary system.

Telecommunication services, industrial parks, commercial product of oil and refining have been extended similar benefits.

The bengfits are in the form of deductions, which could be in the form of 100% tax-holidays, or in the form of specified percentage of deductions over a specific period of time, as contained in the provisions, provided the specific other condition, laid in the sections are satisfied.

Provisions of section 80-IA of the In-come-Tax Act are given in Annexure.

[See Appendix 184, Annexure No. 93]

(b) Reference has been received from the Addl. Secretary, Govt, of Gujarat forwarded by Shri Y. K. Alagh, ex-Minister of State, for granting income tax exemption to investment made for setting up infrastructure facilities like private ITIs.

(c) It has been conveyed that Gujarat State expects an investment of Rs. 1,00,000 crores in the next decade in industrial development, which in turn creates need for skilled persons. Out of 201 blocks in Gujarat, 40 blocks do not have ITIs. Accordingly, it has been suggested that as this is an infrastructural facility for creation of jobs and training needs of industries, it may be included in the definition of 'infrastructure' for the purpose of Section 80-IA of the LT. Act.

बिहार में वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों की नयी शाखाएं

3740. श्री ईश दत्त यादवः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों की नई शाखाएं खोलने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयीं

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान उक्त बैंकों की कितनी और शाखाएं खोले जाने की उम्मीद है, और

(ङ) त्रिमुहानिघाट, बहेड़ा, दरभंगा (बिहार) में उपरोक्त बैंकों की शाखाएं कब तक खोल दिये जाने की उम्मीक है, और यदि कोई शाखाएं खोली नहीं गई हैं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क), (ख), (घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बिहार में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में बैंकों की नई शाखाएं खोलने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से अलग-अलग बैंकों द्वारा स्वयं लिया जाता है। जहां तक सहकारी हैंकों का सम्बन्ध है, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) अपने परिचालन के